हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

.....

सं0 आर0ड़ी0ड़ी0ए0ए0(ए)(1)–1/99 पार्ट– तारीख, शिमला–9, 30 मार्च, 2016

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग में खण्ड विकास अधिकारी, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
निरसन एवं व्यावृत्तियां	2. (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या : आर0डी0डी0 ए0ए0(ए)(1)1/99 तारीख 07.10.2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम. 2003 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप–नियम नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जएगी।

आदेश द्वारा,

(औंकार शर्मा)
सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0सं0: आर0डी0ड़ी0ए0ए0(ए)(1)–1/99 पार्ट– तारीख शिमला–9 30 मार्च, 2016
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
2. निदेशक–एवं– विशेष सचिव (ग्रा0वि0) हिमाचल प्रदेश, शिमला–9
3. संयुक्त विधि परामर्शी–एवं– संयुक्त सचिव (विधि) हि0प्र0 सरकार।
4. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला को उनके पत्र सं0 1–20/72–PSC-Part दिनांक 23.01..2016
5. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।

....2....

6. निदेशक उद्योग/उद्यान/पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश।
7. पंजीयक, सहकारी सभाएं, एस,डी,ए, कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला–9
8. नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
9. उप निदेशक (ग्रा0वि0), ग्रामीण विकास विभाग, राज्य मुख्यालय, शिमला–9
10. समस्त उप निदेशक–एवं–परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/ उप निदेशक–एवं–परियोजना निदेशक, डी0डब्लयू0डीए0/एस0एल0एन0ए0/एन0आर0एल0एम0/ खण्ड़ विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
12. रक्षक नस्ति (50 अतिरिक्त प्रतियां)

(सचिन कंवल)
उप सचिव (ग्रा0वि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।